मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर

विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2009/06.07.2009

आयोग कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि - 07.08.2009

एक - भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग** के अंतर्गत **अधीक्षक, द्वितीय श्रेणी** के निम्नानुसार पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

स.क्र.	पद कोड क्रमांक	पद	पद की संख्या	वर्ग	योग्यता	अनुभव
1.	01	अधीक्षक विशेष गृह	1	अनारक्षित	समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर अथवा एम.एस.डब्ल्यू.	
2.	02	अधीक्षक किशोर गृह	1	अनुसूचित जनजाति	समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर अथवा एम.एस.डब्ल्यू.	
3.	03	अधीक्षक अनुरक्षण गृह	1	अनारक्षित	समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर अथवा एम.एस.डब्ल्यू.	
4.	04	अधीक्षक श्रवण बाधितार्थ	1	अनुसूचित जाति	समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर अथवा एम.एस.डब्ल्यू.	संबंधित निःशक्तता में मान्यता प्राप्त संस्था का डिप्लोमा
5.	05	अधीक्षक अस्थि बाधित बाल गृह	1	अन्य पिछड़ा वर्ग	समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर अथवा एम.एस.डब्ल्यू.	
6.	06	अधीक्षक दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ	1	अनारक्षित	समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर अथवा एम.एस.डब्ल्यू.	संबंधित निःशक्तता में मान्यता प्राप्त संस्था का डिप्लोमा
7.	07	अधीक्षक सम्प्रेक्षण गृह	1	अनुसूचित जनजाति	समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर अथवा एम.एस.डब्ल्यू.	
8.	08	अधीक्षक मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह	1	अनुसूचित जाति	मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि (द्वितीय श्रेणी) बी.एड. की डिग्री	मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के गृह में कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव

टीप- (i) केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक ही आरक्षित पद के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

(ii) एक से अधिक पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र भरें।

दो- शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा।

तीन- चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

चार- **वेतनमान-** रु. 8000-275-13500 (संशोधन पूर्व वेतनमान) एवं शासन के नियमानुसार अन्य भत्ते।

पाँच- **आयु सीमा- पद कोड क्रमांक 01 से 07 हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तथा पद कोड क्रमांक 08 हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है।** आयु संगणना की तिथि 01.01.2010 रहेगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट हेतु **परिशिष्ट-1** देखें।

मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्कचार्ज्ड या कांटिजेंसी पेड कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित समस्त श्रेणी के कर्मचारी (महिला कर्मचारी भी) के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें। ऐसे आवेदकों को परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित किसी भी छूट का लाभ प्राप्त नही होगा परंतु परिशिष्ट-1 (दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट में से अधिकतम लाभ वाले किसी एक छूट का लाभ तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

छः - केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक ही आरक्षित पद के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

सात- मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता-

अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

आठ- **अधिवार्षिकी आयु-** 60 वर्ष (सभी पदों हेतु)

नौ- **महत्वपूर्ण-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

दस- प्रत्येक उम्मीदवार का केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। किसी उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर आवेदक का पूरा नाम तथा पता लिखना अनिवार्य होगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन क्रमांक तथा आवेदित पद का नाम अवश्य अंकित करें। आवेदन पत्र भरने के संबंध में निर्देश तथा अन्य जानकारियों हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह- यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें तथा साथ में 11.5 × 27.5 से.मी. आकार के परिवर्तित पता लिखे तथा पर्याप्त डाक टिकिट लगे दो लिफाफे भी साथ में भेजें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किंतु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है।

बारह- **चयन प्रक्रिया-** उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा।

लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अनारक्षित आवेदकों को 40 प्रतिशत अंक तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होंगे। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आवेदकों में से विज्ञापित पदों के तीन गुना (तथा समान अंक प्राप्त करने वाले) आवेदक गुणानुक्रम में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। आयोग की परीक्षाओं में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार न करते हुये उन्हें नस्तीबद्ध किया जायेगा। परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम हेतु **परिशिष्ट-3** का अवलोकन करें। परीक्षा तिथि तथा समय सारिणी की सूचना यथा समय '**रोज़गार और निर्माण**' समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी।

परीक्षा केन्द्र :-

परीक्षा निम्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जायेगी

केन्द्र कोड	परीक्षा केन्द्र
01	इन्दौर
02	भोपाल
03	जबलपुर

साक्षात्कार : साक्षात्कार 35 अंकों का होगा। आवेदकों का अंतिम चयन परिणाम लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर गुणानुक्रम में घोषित किया जायेगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित आवेदकों को चयन हेतु अनर्ह माना जायेगा।

तेरह- आवेदक हेतु विस्तृत जानकारी के लिए-

(i) आयु सीमा की छूटों हेतु **परिशिष्ट-1**

(ii) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देशों एवं जानकारियों हेतु **परिशिष्ट-2**

(iii) परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हेतु **परिशिष्ट-3**

सचिव

परिशिष्ट - 1

(एक)- उच्चतम आयु सीमा में छूटें-

1. भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट आरक्षित वर्ग की आवेदिकाओं तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।
3. विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।

   टीपः- ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़कर अधिवार्षिकी आयु हो जाये। (पद की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है)
4. मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्क चार्ज्ड या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी। यह छूट परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।
5. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-14/93/3/1, दिनांक 10.5.1993 अनुसार राज्य के निगम, मंडल, परिषद, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष है।
6. स्वयंसेवी नगर सैनिकों/वालंटरी होमगार्ड एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी काल अवधि तक की छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए दी जाएगी। किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु सीमा 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

   स्पष्टीकरण-

   छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
8. ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले यह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।
9. 1.1.1963 के बाद में नेशनल कैडेट कोर में पूर्णकालिक अनुदेशकों के रूप में भर्ती हुये अनुदेशकों को उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गयी सेवाओं की कालावधि को आयु सीमा में छूट हेतु अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उनकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

दो- प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट-

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।

टीप- **(1) परिशिष्ट-एक (एक)** में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिंदु क्रमांक (एक) के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।

(2) परिशिष्ट-एक (दो) के अन्तर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट एक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट- उपरोक्त एक (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

परिशिष्ट-2

आवेदन पत्र भरने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

आवेदन-पत्र -

अधीक्षकों के पद हेतु जारी इस विज्ञापन के साथ कम्प्यूटराईज्ड आवेदन पत्र प्रकाशित किया जा रहा है। प्रत्येक आवेदन पत्र पर आवेदन क्रमांक अंकित है। इस मूल आवेदन पत्र पर ही आवेदन करें। **यदि कोई आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह एक ही आवेदन पत्र भरे।** आवेदन पत्र की छायाप्रति/टंकित प्रति मान्य नहीं होगी। कृपया सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापन के साथ यह कंप्यूटराईज्ड आवेदन पत्र भी आपको उपलब्ध हो। आवेदन पत्र निर्देशानुसार ही भरें। आवेदन पत्र भरने के संबंध में मुख्य निर्देश निम्नानुसार हैः-

1. यह आवेदन पत्र 2 पन्ने अर्थात् चार पृष्ठों का है। पृष्ठ क्रमांक दो खाली है आवेदक उस पर कुछ भी न लिखें अन्यथा आवेदन पत्र स्केन नहीं होगा।
2. यह आवेदन पत्र केवल काली स्याही वाले बाल पेन से ही भरें।
3. कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें। अधूरा भरा फार्म आयोग द्वारा अमान्य कर दिया जायेगा। प्रविष्टियां सफाई से भरें, काट-पीट न करें।
4. आवेदन पत्र को दो ही मोड़ दें उसे गीला या गंदा न करें।
5. प्रथम पृष्ठ पर फोटो निर्धारित साईज की चिपकायें। स्टेपल या पिन न करें। फोटो के पीछे आवेदक अपना नाम तथा आवेदन-पत्र क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित करें।
6. फोटो के समक्ष दिये बाक्स में हस्ताक्षर अनिवार्यतः करें।
7. घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में करें। हस्ताक्षर के अभाव में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
8. पृष्ठ तीन पर भी फोटो अनिवार्यतः लगायें। बाक्स में हस्ताक्षर करें। फोटो के पीछे आवेदक अपना नाम तथा आवेदन-पत्र क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित करें।
9. फोटो पासपोर्ट आकार का सामने से खींचा हुआ जिसमें दोनों कान दिखाई देते हों, होना चाहिए। फोटोग्राफ की फोटोस्टेट प्रति स्वीकार्य नहीं होगी।
10. केवल पृष्ठ चार पर ही मूल बैंक चालान की पी.एस.सी. प्रति के साथ सभी प्रमाण-पत्र स्टेपल करें अन्य कहीं नहीं, अन्यथा आपका आवेदन-पत्र स्केन नहीं हो सकेगा। **आवेदक अपने अभिलेख हेतु चालान की पी.एस.सी. प्रति की छायाप्रति कराकर अपने पास रखें।**
11. समस्त जानकारी सही व स्पष्ट शब्दों में दें। जानकारी गलत पाये जाने पर आयोग द्वारा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
12. संख्या लिखने में अंतर्राष्ट्रीय अंकों यथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 का ही प्रयोग करें। कलात्मक अंकों का प्रयोग न करें।
13. प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या निर्धारित स्थान पर अवश्य लिखें साथ ही उसके नीचे हस्ताक्षर करना न भूलें।
14. आवेदन पत्र के लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर आवेदक अपना नाम तथा पता एवं लिफाफे के शीर्ष पर विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम बड़े अक्षरों में लिखें तथा उसे रेखांकित करें। लिफाफे पर इस विवरण के बगैर प्राप्त आवेदन पत्रों पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।
15. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि, सभी अभिलेखों अर्थात उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गये समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए यदि विभिन्न अभिलेखों पर उनके द्वारा लिए गये हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
16. **पहचान चिन्हः-** उत्तर पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अपना नाम लिखेंगें अथवा अन्य चिन्ह अंकित करेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाना माना जाएगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के आवेदक की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
17. आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक तथा पूर्ण पता लिखना चाहिए।
18. परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन व पेजर तथा अन्य संचारी यंत्र वर्जित है।
19. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अन्य निर्देश :-

1. एक लिफाफे में एक ही आवेदन-पत्र रखें।
2. स्वयं का पता लिखा छः रुपये का टिकिट लगा एक पोस्टकार्ड लिफाफे में आवेदन पत्र के साथ अवश्य रखें। इसके अभाव में आवेदन-पत्र प्राप्ति की सूचना आयोग द्वारा देना संभव नहीं होगा।
3. मूल आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां अवश्य भेजी जानी चाहिए। उनके अभाव में आवेदन-पत्र अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जायेगा और उसके संबंध में आयोग द्वारा न तो कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जायेगा और न ही कोई पत्र व्यवहार किया जायेगा। प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के पृष्ठ क्रमांक-चार के साथ ही स्टेपल करें।

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमीस्टर्स की अंकसूचियाँ।

अनुभव प्रमाण-पत्र- जिन पदों हेतु अनुभव आवश्यक है उसके आवेदक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

जाति के प्रमाण पत्र-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो तथा साक्षात्कार के समय जाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति का स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम का लगा जाति प्रमाणपत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित आवेदिकाएँ जाति प्रमाणन हेतु पिता के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाणपत्र के साथ ही विवाह के पश्चात् क्रीमीलेयर में न आने के प्रमाणस्वरूप अपने पति के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें।**

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक) (3) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक)(4) से (9) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो)(1) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो)(2) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो) (3) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क

अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क रु. 60/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 120/- (कुल रुपये 180/-) देय होंगे। मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग की श्रेणी में आते हैं, के लिये **आवेदन शुल्क रु. 30/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 60/- (कुल रुपये 90/-) देय होंगे।** उक्त शुल्क आवेदन पत्र के पृष्ठ-3 के आधार भाग में स्थित चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक को उक्त शुल्क को जमा करने हेतु 30/- रुपये प्रोसेस फीस देय होगी जो आवेदक द्वारा वहन की जायेगी। आवेदक चालान की निर्धारित प्रति (पी.एस.सी. प्रति) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

अत्यंत आवश्यक- उपरोक्त शुल्क आयोग द्वारा केवल भारतीय स्टेट बैंक में उपरोक्तानुसार चालान द्वारा जमा करने पर ही स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, पोस्टल आर्डर अथवा अन्य किसी भी माध्यम से शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त तथा निरस्त किये गये आवेदन-पत्रों हेतु जमा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा इसलिए आवेदकों के लिये सुझाव है कि अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा करने के बजाय उसके काफी पहले शुल्क जमा कर आवेदन पत्र भेजना उनके हित में होगा।

टीप- आयोग को प्राप्त आवेदन शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदकों को वापस किया जा सकेगा-

I. यदि आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये, अथवा

II. यदि किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि-

आयोग कार्यालय में आवेदन-पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 07.08.2009** है। अंतिम तिथि को सायंकाल 5:30 बजे तक आयोग कार्यालय में आवेदन-पत्र पहुंचाने का उत्तरदायित्व आवेदक का है। आयोग कार्यालय के काउंटर पर भी कार्यालयीन समय (प्रातः 10:30 से सायं 5:30 बजे तक) में प्रत्येक कार्य दिवस को अंतिम तिथि तक आवेदन-पत्र जमा कराये जा सकते हैं, जिसकी रसीद उसी समय दी जायेगी। डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र अंतिम तिथि को सायं 5:30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त होने पर ही अंतिम तिथि तक प्राप्त हुये माने जायेंगे। डाक/कोरियर के कारण होने वाले विलंब/गुम होने/कटने फटने अथवा नष्ट होने के लिये आयोग उत्तरदायी नहीं रहेगा। आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जायेंगे।

आवेदन-पत्र भेजने का पता-

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी क्षेत्र,
इंदौर-452001.

प्रवेश पत्र

आयोग सभी अर्ह आवेदकों को यू.पी.सी. डाक से प्रवेश पत्र भेजेगा। यदि लिखित परीक्षा के दिनांक से 15 दिवस पूर्व तक किसी आवेदक को आयोग से भेजा गया प्रवेश पत्र प्राप्त न हो तो वे इसके लिये आयोग कार्यालय से संपर्क करें। आयोग कार्यालय से उन्हें उनका परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति रुपये 10/- शुल्क भुगतान के पश्चात् दी जाएगी। यह सुविधा परीक्षा दिनांक से सात दिवस पूर्व तक दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र/रोल नंबर की जानकारी किसी भी स्थिति में टेलीफोन पर नहीं दी जाएगी।

नियोक्ता की अनापत्ति -

सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी उपक्रम में हो या किसी प्रकार से अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिये। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के माध्यम से भेजा हो और वह आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा भले ही वह नियोक्ता को अंतिम तिथि से पहले प्रस्तुत किया गया हो। जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उसने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष का सूचित कर दिया है कि, उसने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

अनुशासनिक निर्देश -

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा, जिसे आयोग में निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये परीक्षा/साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
2. पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
3. किसी व्यक्ति से पररूप धारण (इम्परसोनेशन) कराया हो/किया हो, या
4. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
5. चयन में किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
6. परीक्षा/साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो, या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहँचाई हो, या
7. परीक्षा/साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।

उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी -

(क) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिये वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से अथवा विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जा सकेगा-
(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
(ii) राज्य शासन द्वारा या/तथा उनके अधीन नियोजन से।

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी। परंतु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि-
(i) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया हो।

अनर्हताएँः- ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

यात्रा व्यय का भुगतान -

(अ) लिखित परीक्षा के लिये मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक, जो किसी सेवा में न हों, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने पर मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान (मध्यप्रदेश की सीमा तक), वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भर कर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के स्वयं के अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जाएगा।

(ब) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त वर्ग के आवेदकों को यात्रा व्यय का भुगतान उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

सचिव

परिशिष्ट-3

अधीक्षक (विशेष गृह) के पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा-2009

परीक्षा योजना

अधीक्षक (विशेष गृह/किशोर गृह/बाल गृह/अनुरक्षक गृह/सम्प्रेक्षण गृह तथा अस्थिबाधितार्थ बालगृह/दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय/अस्थिबाधितार्थ/दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ एवं क्षेत्रीय परिवीक्षा अधिकारी एवं अन्य) के पदों हेतु लिखित परीक्षा-2009 में सामान्य ज्ञान, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विषय का एक प्रश्न-पत्र भाग-अ सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न तथा भाग-ब समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विषय के 120 प्रश्न होंगे (कुल 150 प्रश्न होंगे) प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार प्रश्न पत्र 300 पूर्णांकों का होगा।

2. अधीक्षक मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह के पदों की लिखित परीक्षा-2009 के लिये आवेदनकर्ताओं को सामान्य ज्ञान भाग-अ 30 प्रश्नों का तथा भाग-ब मनोविज्ञान विषय के 120 प्रश्न कुल 150 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र हल करना आवश्यक होगा। जिसके प्रत्येक प्रश्न के दो अंक निर्धारित हैं तथा प्रश्न पत्र 300 पूर्णांकों का होगा।
3. प्रश्न-पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के A, B, C, D चार संभावित उत्तरों वाले होंगे।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

4. प्रश्न पत्र कुल 2 घंटे अवधि का होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होगा।
5. आवेदकों को लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत अंकधारी उत्तीर्ण माने जावेंगे। मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थियों को 10 प्रतिशत अंकों की छूट का लाभ देते हुये उनके 30 प्रतिशत अंकधारी उत्तीर्ण माने जावेंगे। किन्तु रिक्त पदों के मान से उच्च प्राप्तांकधारी (मेरिट क्रमानुसार) तीन गुना परीक्षार्थियों के साथ ही समान अंकधारी परीक्षार्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
6. साक्षात्कार के कुल 35 अंक निर्धारित हैं। आवेदकों का अंतिम चयन परिणाम लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर मेरिट अनुसार (उच्च अंकधारी) घोषित किया जायेगा।
7. परीक्षा मध्यप्रदेश के तीन संभागीय मुख्यालय के निर्धारित केन्द्रों में आयोजित होगी-
(1) इंदौर, (2) भोपाल, (3) जबलपुर
(आवेदकों की संख्या को देखते हुये केन्द्रों की संख्या कम की जा सकती है)

समाजशास्त्र एवं समाजकार्य-

1. **समाजशास्त्र एवं समाजकार्य- एक परिचय**
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य- अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व
समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य
भारत में व्यावसायिक समाज कार्य का इतिहास
2. **भारतीय समाज**
भारतीय समाज की रचना
भारत में सामाजिक वर्गीकरण - (ग्रामीण, नगरीय एवं जनजातीय)
भारत में सामाजिक स्तरीकरण - जाति एवं वर्ग विभाजन
3. **भारत में ग्रामीण समाज**
भारतीय ग्रामीण समुदाय की प्रकृति एवं विशेषताएँ।
ग्रामीण सामाजिक समस्याएँ - निरक्षरता, निर्धनता, प्रवास एवं लैंगिक पक्षपात
भारत में ग्रामीण विकास - सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास नीति, ग्रामीण समाज में नियोजित परिवर्तन, पंचायती राज, पंचायती राज एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा महिला एवं पिछड़ी जातियों का सशक्तीकरण।
4. **भारत में नगरीय समाज**
भारतीय नगरीय समुदाय की प्रकृति एवं विशेषताएँ।
नगरीयकरण के उभरते प्रतिमान। नगरीय सामाजिक समस्याएँ, नगरीय निर्धनता, गंदी बस्ती, नगरीय पर्यावरणीय समस्याएँ, बाल श्रम।
नगर नियोजन एवं नगरीय स्थानीय सरकार।
नगरीय प्रबंधन में म्यूनिसिपल की भूमिका।
5. **लिंग एवं समाज**
भारत में महिलाओं की परिवर्तनशील सामाजिक स्थिति या भारत में महिलाओं का बदलता सामाजिक स्तर।
जनांकिकीय स्थिति - लैंगिक अन्तराल।
महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक - स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सम्पत्ति अधिकार।
अशासकीय संस्थाओं एवं राज्य की भूमिका - हिन्दू विवाह एवं तलाक से संबंधित अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, लैंगिक समानता लाने के लिये अशासकीय संगठनों द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियाँ।
6. **जनजातीय समाज**
भारत में जनजातीय समूहों की समस्यायें (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक)
सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रम - स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आर्थिक विकास।
विकास कार्यक्रम एवं संवैधानिक प्रावधान।
जनजातीय समुदायों का निर्वासन एवं पुनर्वास।
7. **सुधारवादी प्रशासन**
प्रोबेशन, पेरोल, उत्तर संरक्षण संस्थायें। बाल कल्याण परिषद्, किशोरों के लिये संस्थागत एवं असंस्थागत सेवायें, उद्धार-गृह, जेलवासियों के लिये, सुधारात्मक सेवायें। किशोर न्याय अधिनियम-2000।
8. **विकलांगता एवं पुनर्वास**
विकलांगता- अर्थ, वर्गीकरण एवं कारण।
राष्ट्रीय निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यक्रम एवं अभियान।
शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा विकलांगों अथवा निःशक्त लोगों का पुनर्वास।
विकलांगों अथवा निःशक्त लोगों के अधिकार एवं संबंधित अधिनियम।
निःशक्त अधिनियम-1995, नेशनल ट्रस्ट एक्ट एवं अन्य संबंधित अधिनियम।
9. **परामर्श - क्षेत्र एवं व्यापार**
परामर्श का लक्ष्य एवं युक्तियाँ।
परामर्श के उद्देश्य एवं तकनीकी।
परामर्श की प्रयोज्यता - वृद्धजन, विकलांग, बालक, किशोर, महिला, व्यसन, मनोविकृत समस्या से पीड़ित लोगों का निदान एवं चिकित्सा।
सामाजीकरण में परिवार की भूमिका।
10. **सामाजिक अनुसंधान एवं (कम्प्यूटर) संगणक की प्रयोज्यता**
सामाजिक अनुसंधान - अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व।
सामाजिक अनुसंधान प्रक्रिया - समस्या का व्युत्पत्ति, अनुसूची की तैयारी, निदर्शन, आँकड़ों का एकत्रीकरण, आँकड़ों का औपचारिक प्रारम्भ, विश्लेषण एवं व्याख्या करना, शोध प्रतिवेदन लिखना।
गणनात्मक एवं गुणात्मक शोध की प्रविधियाँ।
सांख्यिकी उपकरण - माध्य, मध्यका एवं बहुलांक, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात।
सामाजिक अनुसंधान में संगणक की प्रयोज्यता।
संगणक (कम्प्यूटर) की भाषा एवं पैकेज का परिचय।
प्रणाली (सिस्टम डिजाइन) की अभिकल्पना एवं उसका निष्पादन।
सूचना तकनीकी क्रान्ति का सामाजिक क्रियान्वयन।
प्रथम खण्ड - सामान्य ज्ञान।

Sociology and Social Work

1. **Introduction of Sociology and Social Work :**
Meaning, scope & significance of sociology and social work.
The sociological perspective.
Indian history of professional social work.
2. **Indian Society :**
Composition of Indian society.
Social classification in India (Rural, Urban & Tribal).
Social stratification in India - caste & class divisions.
3. **Rural Society in India :**
Nature and characteristics of Indian rural communities.
Rural social problems - illiteracy, poverty, migration, gender bias.
Rural Development in India - Community development programmes, Rural development policies, Planned change for rural society.
Panchayatiraj, Empowerment of women and backward classes through panchayati raj and local self-govt.
4. **Urban Society in India :**
Nature and Characteristics of Indian urban communities.
Emerging trends in urbanization and urban social problems : Urban poverty, Slums, Urban environmental problem, Child labour & related legislations.
Urban planning and urban local self-government.
Role of municipal bodies in urban management.
5. **Gender and society :**
Changing Social status of women in India.
Demographic profile - The gender gap.
Issues affecting the quality of life of women - Health, education and property rights.
The role of the State and NGOs - legislations related to Hindu marriage & divorce. Domestic Violence Act. Strategies adopted by NGOs towards gender equality.
6. **Tribal Society :**
Problems of tribal communities in India (social, economic & political)
Social & Economic development programmes - Health, education & economic development.
Development programmes & their constitutional provisions.
Dislocation and resettlement of tribal community.
7. **Correctional Administration :**
Probation, Parole, After Care institutions.
Child welfare council. Juvenile institutional and non-institutional services.
Rescue home, Correctional services for jail inmates.
Juvenile Justice Act. 2000.
8. **Disability and Rehabilitation :**
Disability - meaning, classification & causes.
National preventive and curative programmes and campaigns.
Rehabilitation of disabled - agencies : state & private.
Rights of the disabled and related legislations.
Disability Act. 1995 National Trust Act. and other related Act.
9. **Counselling - Scope, Application & Therapies :**
Principles and practices of counselling, Goals and techniques of counselling.
Application of counselling - Aged, Disabled, Children, Adolescent, Women, Addicts, People suffering from psychosomatic disorders, Various therapies.
Role of family in socialization.
10. **Social Research & Computer Application :**
Meaning, scope & importance of social research. Social research process - Problem formulation, Designing the schedule, sampling. Data collation, data processing, analysis, interpretation, writing of research report.
Qualitative & quantitative research.
Statistical tools - mean, median, mode, percentage, ratios & proportions.
Application of computers in social research. Introduction to languages and packages. Systems design and implementation.
Social implication of info-tech. revolution.

First Part - General Knowledge.

अधीक्षक - मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के गृह हेतु प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम

मनोविज्ञान

1. **मानसिक न्यूनता-** प्रत्यय व परिभाषा, भारत में वर्तमान स्थिति शैक्षणिक वर्गीकरण, मानसिक न्यूनता के नैदानिक वर्ग, मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालकों की विशेषताएँ एवं क्षमताएँ।
मानसिक न्यूनता के कारण एवं रोकथाम के उपाय।
2. **विकलांगता-** विकलांगता के प्रकार एवं विकलांगों की समस्याएँ।
विशिष्ट आवश्यकताओं के बालक - सांवेदिक, अस्थिगत, वाक् एवं अधिगम अयोग्यताएँ।
मानसिक न्यूनतम से संबद्ध दशाएँ।
अपस्मार, अतिसक्रियता, अवधान न्यूनता की विकृति, स्वलीनता, मानसिकता न्यूनता के विशेष संदर्भ में व्यवहार समस्याएँ।
3. **मनोविज्ञान के आधारभूत प्रत्यय एवं विद्यार्थी -**
मानसिक न्यूनता के संदर्भ में मनोविज्ञान का विषय विस्तार एवं मूलभूत मानसिक प्रक्रियाएँ - अवधान, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरण एवं संवेग।
मनोविज्ञान की विधियाँ - प्रेक्षण, व्यक्ति-अध्ययन, प्रयोग, प्रश्नावली, साक्षात्कार।
सांख्यिकीय विधि- मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, प्रामाणिक विचलन एवं सहसंबंध।
4. **मानसिक न्यूनता के विकासात्मक एवं सामाजिक पहलू -**
शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के सोपान।
भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ।
विकास की विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालकों की समस्याएँ।
मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालकों के उपचारात्मक हस्तक्षेप में परिवार की भूमिका।
(बालकों की स्वीकृति एवं प्रारंभिक उद्दीपन)।
मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालकों के पुनर्स्थापन में समुदाय की भूमिका।
5. **मनोवैज्ञानिक मापन एवं परीक्षण -**
मापन का प्रत्यय एवं परीक्षण की आवश्यक विशेषताएँ - वैधता एवं विश्वसनीयता।
बुद्धि परीक्षण - सामान्य योग्यताओं के परीक्षण, विशिष्ट योग्यताओं एवं अभियोग्यताओं के परीक्षण।
बुद्धि की न्यूनता के विशेष परीक्षण।
व्यक्तित्व प्रश्नावलियों एवं समायोजन परीक्षण।
परीक्षण की रिपोर्ट।
6. **परामर्शन - परामर्श में संबंध एवं प्रक्रिया -**
निर्देशात्मक एवं अनिर्देशात्मक परामर्श।
व्यवहार चिकित्सा।
परिवार एवं समूह परामर्श - सामुदायिक मनोविज्ञान परामर्शदाता शिक्षक एवं पालकों की भूमिका।
7. **मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालकों के लिये शैक्षणिक व्यवस्थाएँ-**
कौशल-प्रशिक्षण एवं अध्ययन विधियों के नियम।
स्वयं की देखभाल के कौशल एवं जीवन-कौशल-कौशल प्रशिक्षण की प्रविधियाँ।
अधिगम सिद्धान्त एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक।
विभिन्न बौद्धिक स्तरों पर विद्यमान व्यक्तियों के लिये वैयक्तिक एवं सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण।
8. **विशिष्ट समस्यात्मक समुदायों की व्यावसायिक व्यवस्थाएँ एवं वयस्क स्वतंत्र जीवन की व्यवस्थाएँ -**
कार्य-तत्परता कौशल एवं उनका मूल्यांकन।
व्यावसायिक कौशलों का प्रशिक्षण एवं तकनीकी का उपयोग।
कार्यक्षेत्र में कार्य-तत्परताओं के कौशलों का अंतरण।
व्यावसायिक चिकित्सा एवं गृह कार्य कौशलों का प्रशिक्षण।
9. **मानसिक न्यूनता एवं संबद्ध दशाओं के लिये विशेष संस्थाएँ एवं विशिष्ट शिक्षा -**
विशिष्ट शिक्षाकर्मी की एवं कल्याण कार्य संबंधी संस्थाओं की भूमिका।
विशिष्ट कल्याणकारी योजनाएँ एवं नीतियाँ एवं उनका क्रियान्वयन मानसिक न्यूनता के लिये व्यवस्थाओं के कानून एवं विकलांगों के अधिकार।
संबंधित क्षेत्रों के लिये अनुदानों एवं सहायता स्रोतों की जानकारी।
10. **मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालकों की संस्थाओं का प्रशासन एवं संगठन-**
मानसिक न्यूनता की संस्थाओं के उद्देश्य, संरचना एवं कार्य।
केन्द्र-आधारित एवं समुदाय-आधारित संगठन।
निजी (NGO) संस्थाओं की भूमिका एवं निजी संस्थाओं की वर्तमान (NGOs) कार्यप्रणाली।
भौतिक व्यवस्थाएँ, भौतिक संसाधन एवं उपलब्ध धनराशि का प्रबंधन।

Syllabus for Competitive Exam. for Superintendent of Mentally Retarded Children Home

Psychology

1. **Mental Retardation-** Concept and definition; Present status in India.
Educational classification; Clinical types of the mentally retarded.
Characteristics & Potentialities of the mentally retarded.

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

Causes and Preventive measures.

2. **Disability-** Kinds of disabilities and problems of the disabled.
   Children with special needs - sensory, orthopaedic, speech & learning disabilities.
   Conditions associated with mental retardation.
   Epilepsy, hyperactivity, attention deficit disorders, autism, behaviour problems with special reference to the mentally retarded.
3. **Basic concepts & methods in Psychology-**
   Psychology - Scope with reference to mental retardation;
   Basic mental processes - attention, perception, learning, memory, motivation and emotion.
   Methods in psychology - observation, case study, experiments, questionnaire, interview.
   Statistical method - mean, median, mode, standard deviation, correlation.
4. **Developmental & Social aspects of Mental Retardation-**
   Physical & motor development - stages.
   Language & cognitive development - stages.
   Problems of the mentally retarded at different stages of development.
   Role of family in the intervention of the mentally retarded.
   (acceptance of the child and early stimulation)
   Role of the community in the rehabilitation of the mentally retarded.
5. **Psychological assessment & Testing -**
   Concept of assessment and requisites of Psychological tests : validity & reliability.
   Intelligence tests - general abilities, special abilities, aptitude tests, special tests for the intellectually impaired.
   Personality and adjustment inventories.
   Reports of assessment.
6. **Counselling -** Relationship and process of counselling.
   Directive & nondirective counselling.
   Behaviour therapy techniques.
   Family and group counselling; Community psychology.
   Role of the counselor, teacher and parents.
7. **Educational Provisions for the mentally retarded -**
   Principles of skill training and teaching methods.
   Self care skills and life skills - techniques of skill training.
   Learning theories and factors affecting learning.
   Personal and Social skills training for persons of various intellectual levels.
8. **Vocational provisions and adult independent living of the special populations -**
   Work readiness skills and their assessment.
   Training of vocational skills and use of technology.
   Transfer of work readiness skills to work settings.
   Occupational therapy and domestic skill training.
9. **Special agencies and special education for the mentally retarded and related conditions -**
   Role of the special educator and welfare agencies.
   Special welfare policies & programs and their implementation.
   Legal aspects of the provisions for the mentally retarded.
   (rights of the disabled)
   Information of related grants and sources of aid.
10. **Administration & Organization of the Institution of the mentally retarded -**
   Objectives, structure & functions of institution for the mentally retarded.
   Centre based and community based organizations.
   Role of NGOs and working of the present NGOs.
   Physical arrangements, material resources and management of available funds.

G-14226/1240/2009